न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 173/2021

1. भागीरथ दत्त पुत्र किशोरी लाल जाति ब्राह्मण
2. माया पत्नी लच्छीराम जाति पुजारी
3. वती पत्नी गिर्राज प्रसाद जाति पुजारी निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

ताहिर पुत्र मुन्ना जाति कुरैशी निवासी भोलाबास पहाडी तहसील पहाडी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 22/12/2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 648/0.21 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी आराजी मुतदाविया के प्रार्थीगण मुताबिक रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज है जो अपने–अपने हिस्से पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है जिस पर आज भी प्रार्थीगण का काबिज है उक्त आराजी से अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है। फिर भी बिना किसी अधिकार के अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में मदाखलत व मजाहमत करता है प्रार्थीगण अधिकांश खाने कमाने हेतु बाहर रहते है उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में जबरदस्ती दिनांक 30/10/2021 को नींव खोदकर पक्का निर्माण दीवार खडी करदी अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा नाजायज कर लिया जिसके सवव प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कब्जा वापिस हटाने की बाबत कहन सुनन की लेकिन अप्रार्थी ने दिनांक 01/12/2021 को कब्जा हटाने से साफ इंकार कर दिया और अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को स्पष्ट शब्दों में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

धमकी ग्राम पहाडी तहसील पहाडी में दी और कहा कि उक्त कब्जे को में कभी नहीं हटाऊंगा यदि कोई मेरे सामने आया तो उसे में जान से खत्म कर दूंगा विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी को कब्जा हटाने व पुनः कब्जा वापिस प्राप्त करने के अधिकारी है। आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी से अप्रार्थी का किसी प्रकार का संबन्ध नहीं है फिर भी अप्रार्थी कब्जे काश्त प्रार्थीगण में मजाहमत व मदाखलत करता है प्रार्थीगण की आराजी में कब्जा नाजायज कर रखा है । प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे कोई निर्माण कार्य ना करे कब्जा नाजायज ना करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। आराजी मुतदाविया के खसरा नम्बर 648/0.21 हैक्टर बांके ग्राम कस्बा पहाडी प्रथम में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है बल्कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया है उसमें त्रुटि पूर्ण तरीके से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर को दिखाया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्से की आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर दिया है इसलिए प्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया के बेचान के बाद किसी प्रकार से कोई लेनादेना नहीं है और ना ही आज मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं है उसने प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत अंकित किये है तथा दावा व प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थी की आराजी को हडपने क गरज से पेश किया है जो काबिले खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक जबाब अप्रार्थी विवादित आराजी को प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्से की आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर चुके है । प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30/12/2021 को अपना मूल दावा विड्रा कर लिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का आराजी से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

रहा है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक जबाब अप्रार्थी विवादित आराजी को प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्से की आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर चुके है । प्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30/12/2021 को अपना मूल दावा विड्रा कर लिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का आराजी से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं रहा है। अगर अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थी को भारी नुकसान होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थी को होगी।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner